

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥


पटना-15, दिनांक-07.06.2016

सं०-1/श्रम वि०ई० 7-7002/2011-श्र०सं०-27 /वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार नियोजन सेवा एवं बिहार श्रम सेवा के 4 पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के प्रावधानों के तहत स्तम्भ 3 में अंकित सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में अंकित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) एवं वेतनमान को स्तम्भ 5 में अंकित तिथि से देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	सेवा संवर्ग	देय एम.ए.सी.पी, एवं देय वेतनमान	वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री कृष्णदेव सिंह, सेवानिवृत्त	बिहार नियोजन सेवा	तृतीय एम.ए.सी.पी; पे-बैंड 4, ग्रेड पे 8,700/-	01.01.09
2	श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त	बिहार श्रम सेवा	तृतीय एम.ए.सी.पी; पे-बैंड 4, ग्रेड पे 8,700/-	01.01.09
3	श्रीमती कविता कुमारी	बिहार श्रम सेवा	द्वितीय एम.ए.सी.पी; पे-बैंड 3, ग्रेड पे 7,600/-	12.02.13
4	डॉ० शमशेर बहादूर सिंह	बिहार श्रम सेवा	तृतीय एम.ए.सी.पी; पे-बैंड 4, ग्रेड पे 8,700/-	13.5.16

- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा ।
- उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 7-7002/2011-श्र०सं०-27 / पटना-15, दिनांक-07.06.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के

विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित पदाधिकारी/आई०टी०
मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)
विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10
के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत
करें।


सरकार के अपर सचिव